पत्रांक 14/एम 7–63/2025–10

बिहार सरकार

उच्च शिक्षा विभाग

प्रेषक,

राजीव कुमार चौधरी,
अवर सचिव, उच्च शिक्षा विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

द्वारा :– आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक 22/04/2026

विषयः वित्तीय वर्ष 2026–27 से उच्च शिक्षा विभाग में Codebucket Solutions Private Limited के तहत Samarth Portal के क्रियान्वयन हेतु कार्यरत कर्मियों के माह जनवरी 2026 एवं फरवरी 2026 का मानदेय भुगतान हेतु कुल 25,00,678/– (पच्चीस लाख छह सौ अठहत्तर) रूपये मात्र की स्वीकृति एवं विमुक्ति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश : स्वीकृत।

महाशय,

राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2026–27 में उच्च शिक्षा विभाग अन्तर्गत Codebucket के तहत कार्यरत कर्मियों के माह जनवरी 2026 एवं फरवरी 2026 का मानदेय भुगतान हेतु कुल 25,00,678/– (पच्चीस लाख छह सौ अठहत्तर) रूपये मात्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. "उच्च शिक्षा विभाग के तहत Samarth Portal के क्रियान्वयन हेतु Codebucket Solutions Private Limited के अंतर्गत कार्यरत कर्मियों की सेवा लिए जाने संबंधी आदेश पत्रांक–4092 दिनांक–13.09.2024 द्वारा निर्गत है एवं इस संबंध में निदेशक, उच्च शिक्षा एवं Chief Operating officer, Codebucket Solution Private Limited के बीच दिनांक–27.08.2025 को MoU पर भी हस्ताक्षर कर सहमति व्यक्त की गई ।

3. Codebucket Solutions Private Limited द्वारा Samarth Portal के क्रियान्वयन हेतु ली जा रही सेवाओं के विरूद्ध माह जनवरी 2026 एवं फरवरी 2026 का मानदेय भुगतान हेतु कुल 25,00,678/– (पच्चीस लाख छह सौ अठहत्तर) रूपये मात्र भुगतान किए जाने हेतु स्वीकृत की जा रही है।

4. राशि की निकासी उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, शिक्षा विभाग, (उच्च शिक्षा), बिहार, पटना द्वारा नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन से निकासी कर Bank Name-ICICI Bank Limited Kalamassery Branch, Account Name-CODEBUCKET SOLUTIONS PRIVATE LIMITED, Account Number-115905000622, IFSC Code-ICIC0001159 में राशि का अन्तरण किया जाएगा। स्वीकृत राशि का विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग एवं महालेखाकार कार्यालय को उपलब्ध कराया जाएगा। राशि की निकासी CFMS के माध्यम से की जाएगी।

5. इस राशि का व्यय विकलन वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2026–27 में मांग संख्या 54, उच्च शिक्षा विभाग, उपमुख्य शीर्ष 00, लघु शीर्ष 090–सचिवालय, उपशीर्ष 0033, उच्च शिक्षा विभाग, विपत्र कोड–54–2251–00–090–0033 के विषय शीर्ष 0033–28–04 व्यवसायिक/कला/तकनीकी सेवा मद के अन्तर्गत उपबंधित राशि से होगा।

6. यह स्वीकृत्यादेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या–7355 दिनांक 05.10.2007 एवं महालेखाकार बिहार के पत्रांक–877–907 दिनांक–08.11.2007 के आलोक में आवंटन आदेश निर्गत होने के पश्चात् राशि निकासी की जाएगी। अतएव महालेखाकार से प्राधिकार पत्र प्राप्त करना आवश्यक नहीं है।

7. राशि वित्त विभागीय संकल्प सं०–12888, दिनांक–03.12.2024 में निहित निदेशों के आलोक में विमुक्त की जाएगी।

8. राशि का व्यय वित्त विभागीय स्थायी आदेश सं0 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं वित्त विभाग, बिहार सरकार द्वारा समय समय पर निर्गत संकल्प/परिपत्रों अन्य पत्रों में निहित निदेशों के आलोक में की जाएगी।

9. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा महापरीक्षक तथा राज्य सरकार के अंकेक्षण (वित्त) विभाग को यह अधिकार होगा कि वे इस राशि का लेखा का अंकेक्षण करे। अतएव इसके लिए संपूर्ण राशि का लेखा जोखा अलग से रखा जाएगा। इस राशि का विचलन अन्य मदों पर नहीं किया जायेगा।

10. निदेशक, उच्च शिक्षा, बिहार, पटना को इसकी सूचना दी जा रही है।

11. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह०/–
अवर सचिव
उच्च शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक 14/एम 7–63/2025 – 10 पटना, दिनाक–22/04/2026

प्रतिलिपिः– विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव, उच्च शिक्षा विभाग के निजी सहायक, वित्त विभाग (स्कीम एवं बजट शाखा) /निदेशक, उच्च शिक्षा/सभी उपनिदेशक, उच्च शिक्षा/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, शिक्षा विभाग, (उच्च शिक्षा), बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–05, 14, 15 एवं 19/लेखापाल, उच्च शिक्षा/Chief Operating Officer, CODEBUCKET SOLUTIONS PRIVATE LIMITED 497, Nehru Nagar, Patna Bihar, 800013 तथा आई0टी0 मैनेजर, उच्च शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

21.04.26
अवर सचिव
उच्च शिक्षा विभाग।